भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु. 25000 पच्चीस हज़ार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

## विक्रय–पत्र

### लेख पत्र का संक्षिप्त विवरण

| | | |
|---|---|---|
| 1. | भूमि का प्रकार | : कृषि |
| 2. | तहसील | : [illegible] |
| 3. | ग्राम | : [illegible] |
| 4. | सम्पत्ति का विवरण (सम्मिलित गाटा) | : भूमि खसरा संख्या–422, 1498, 1087, 927, 1421, 1035, 1034, 1036 |

[illegible]

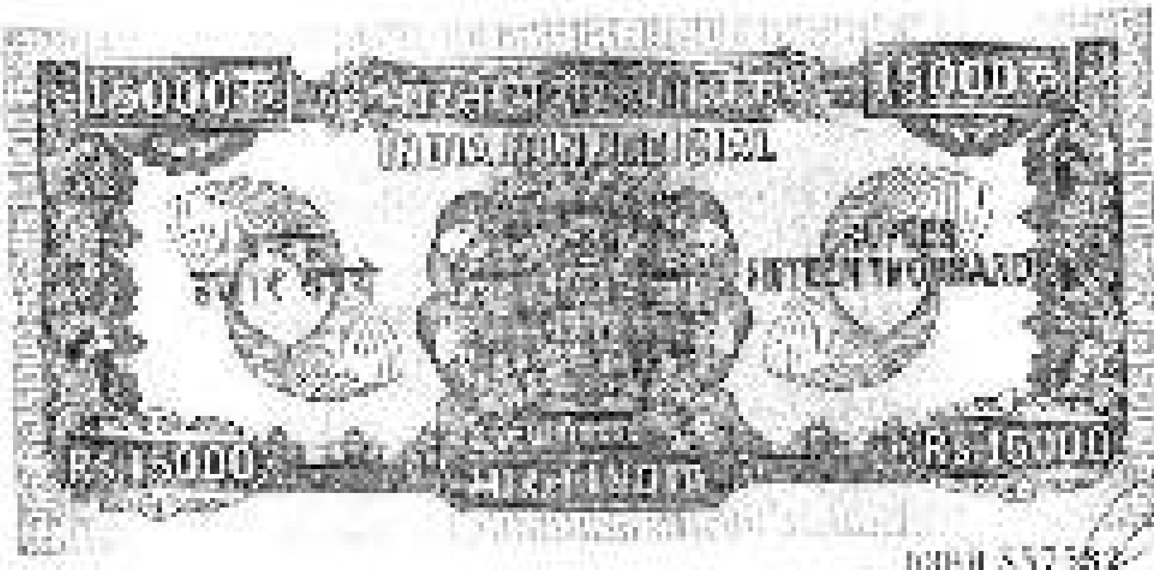


-2-

| | | |
|---|---|---|
| 5. | मापन की इकाई | : हेक्टेयर |
| 6. | विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल | : 0.2521 हेक्टेयर |
| 7. | सड़क की स्थिति | : सुल्तानपुर रोड व अमर शहीद पथ से 200 मीटर से अधिक दूर |
| 8. | सम्पत्ति का प्रकार | : कृषि |
| 9. | पेड़ों का मूल्यांकन | : कुछ नहीं |
| 10. | बोरिंग/कुआं/... | : कुछ भी नहीं |

[illegible] [illegible]

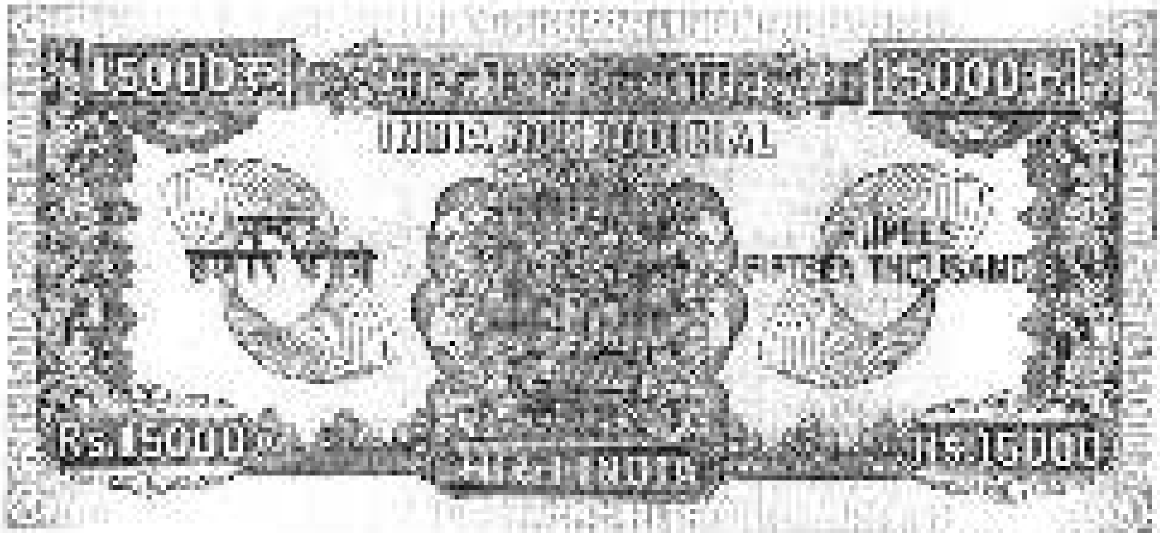


0300 9575

-4-

| | | |
|---|---|---|
| 11. | प्रतिफल की धनराशि | : रु0 14,94,440/- |
| 12. | मालियत | : रु0 5,67,225/- |
| 13. | स्टाम्प | : रु0 1,04,660/- |

चौहद्दी

<u>खसरा</u> नं0-922

| | |
|---|---|
| पूरब | : खसरा संख्या-921 |
| पश्चिम | : खसरा संख्या-926 |
| उत्तर | : खसरा संख्या-923 |
| दक्षिण | : खसरा संख्या-923 |

[illegible] का कार्यालय

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

05 JUL 200

-4-

खसरा सं0–[illegible]

| | | |
|---|---|---|
| पूरब | : | खसरा संख्या–1429 |
| पश्चिम | : | खसरा संख्या–1439 |
| उत्तर | : | खसरा संख्या–1421 |
| दक्षिण | : | खसरा संख्या–1431, 1432 |

खसरा सं0–[illegible]

| | | |
|---|---|---|
| पूरब | : | खसरा संख्या–1028 |
| पश्चिम | : | खसरा संख्या–1035 |
| उत्तर | : | खसरा संख्या–1036, 1346 |
| दक्षिण | : | खसरा संख्या–1033, 1034 |

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

05 JUL 2011



खसरा नं0-927

पूरब : खसरा संख्या-935

पश्चिम : खसरा संख्या-921, 924

उत्तर : खसरा संख्या-914

दक्षिण : खसरा संख्या-905

खसरा नं0-1422

पूरब : खसरा संख्या-1423, 1424

पश्चिम : खसरा संख्या-1415

उत्तर : खसरा संख्या-1419, 1420

दक्षिण : खसरा संख्या-1431, 1435

विक्रेता का अधिकृत

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

- 6 -

खसरा नं0–1032

| | |
|---|---|
| पूरब | : खसरा संख्या–1025 |
| पश्चिम | : खसरा संख्या–1034 |
| उत्तर | : खसरा संख्या–1036, 1037 |
| दक्षिण | : खसरा संख्या–1023 |

खसरा नं0–1034

| | |
|---|---|
| पूरब | : खसरा संख्या–1033 |
| पश्चिम | : खसरा संख्या–1038 |
| उत्तर | : खसरा संख्या–1035 |
| दक्षिण | : खसरा संख्या–1047 |

[illegible]

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



खसरा नं0–1036

| | |
|---|---|
| पूरब | खसरा संख्या–1046 |
| पश्चिम | खसरा संख्या–1044 |
| उत्तर | खसरा संख्या–1045, 1052 |
| दक्षिण | खसरा संख्या–1035, 1037 |

| प्रथम पक्ष की संख्या–01 | द्वितीय पक्ष की संख्या–01 |
|---|---|
| विक्रेता का विवरण | क्रेता का विवरण |
| मंशाराम पुत्र केशराम निवासी– ग्राम–बरौना, परगना–बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ। | राम सजीवन पुत्र मोहू, निवासी– ग्राम–पूरे मिश्री, मनौली, गुरुबक्शगंज, जिला–रायबरेली। |

मंशाराम

विलेख लेखक

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

-2-

विक्रय विलेख

यह विक्रय विलेख गंगाराम पुत्र [illegible] निवासी–ग्राम–बरौना, परगना–[illegible], तहसील व जिला लखनऊ जिन्हें आगे विक्रेता कहा गया है,

एवम

राम सजीवन पुत्र गोधू, निवासी– ग्राम–[illegible], [illegible], [illegible], जिला–रायबरेली जिन्हें आगे क्रेता कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया गया।

गंगाराम

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

यह कि निम्न खाता खतौनी संख्या-00180 कृषि भूमि खसरा संख्या-922 रकबा 0.0250 हेक्टेयर, खसरा संख्या-1433 रकबा-0.320 हेक्टेयर, दो किता व रकबा 0.570 हेक्टेयर का 1/8 भाग यानि रकबा 0.0071 हेक्टेयर व खतौनी संख्या-00031 खसरा संख्या-1017 रकबा 0.4200 हेक्टेयर व खसरा संख्या-900 रकबा 0.4170 हेक्टेयर में से 0.164 हेक्टेयर व खसरा संख्या-1421 रकबा 0.2920 हेक्टेयर कुल तीन किता व कुल रकबा 0.876 हेक्टेयर का

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



1/4 भाग यानि रकबा 0.2190 हेक्टेयर व खतौनी संख्या–00070 खसरा संख्या–1033 रकबा 0.0250 हेक्टेयर, खसरा संख्या–1034 रकबा 0.0510 हेक्टेयर व खसरा संख्या–1036 रकबा 0.0130 हेक्टेयर कुल तीन किता कुल रकबा 0.0890 हेक्टेयर का 7/24 भाग यानि रकबा 0.0260 हेक्टेयर इस प्रकार कुल 6 किता व कुल विक्रीत रकबा 0.2521 हेक्टेयर स्थित–ग्राम–बरौना, परगना–बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ, की मालिक, काबिज व दाखिल है,

विक्रेता का हस्ताक्षर

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

V 168154



जो विक्रेता को विरासतन प्राप्त हुई है तथा उपरोक्त सम्बन्धित पंचसाला खतौनी फसली वर्ष 1413 से 1418 की खाता खतौनी क्रम संख्या 00180, 00081, 00070 के अनुसार विक्रेता का नाम अमल दरामद हो चुका है। उक्त आराजी आज तक विक्रेता के कब्जे व दखल मालिकाना में मौजूद है और वो कहीं विक्रय, हिबा, रहननामा, कुर्की, व जमानत आदि से बाधित नहीं है, उक्त आराजी में किसी अन्य व्यक्ति का कोई स्वामित्व एवं अधिकार नहीं है और न ही कोई व्यक्ति साझीदार

विक्रय पत्र [illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

है। अब बजरिये इस विक्रेता ने उसी आराजी उपरोक्त को पूर्ण स्वामित्व एवं अधिकारों सहित बिना छोड़े किसी चीज व हक के साथ लोप व सम्बन्ध बिना किसी दबाव के, बदले मुबलिग रू0 14,94,449/- (लिखना चौदह लाख चौरानवे हजार चार सौ उन्चास मात्र) में क्रेता उपरोक्त को बय कराई किया और कुल जिम्मा समस्त क्रेता उपरोक्त से गये किये गये विवरण के अनुसार प्राप्त करके कब्जा व दखल मालिकाना आराजी मजकूरा पर आज से बदस्तूरी करा दिया। अब विक्रेता

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 197560



व वारिसान विक्रेता को कोई हक न रहा निस्बत आराजी मबयुआ व विक्रय धनराशि के क्रेता से बाकी नहीं रहा. अगर कोई शख्स दावा करे तो वह बिल्कुल नाजायज होगा, और अगर आराजी मबयुआ पूर्ण अथवा उसका कोई अंश क्रेता के स्वामित्व एवं अधिकारों से निकल जाये या कब्जा न मिले या कोई विवाद, हिबा, बयनामा, कुर्की व अमानत आदि से बाधित पायी जाती है तो ऐसी स्थिति में क्रेता को अधिकार होगा कि वह अपना कुल विक्रय धनराशि मय हर्जा-खर्चा व नुकसान के

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

[illegible]

[illegible]



तब विक्रेता व वारिसान विक्रेता से व विक्रेता की अन्य सम्पत्ति चल व अचल से जरिये न्यायालय प्राप्त कर लेंगे, इसमें विक्रेता व वारिसान विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

अब क्रेता खरीददार को पूरा अधिकार है कि वह विक्रीत आराजी के सम्बन्ध में समस्त सरकारी अभिलेखों में अपने नाम दाखिल-खारिज करा लेंगे।

[illegible]

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत सरकार

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

[illegible]



आराजी उपरोक्त में खेती होती है, आराजी उपरोक्त में पेड़, ट्यूबवेल, कुआं व इमारत आदि नहीं है। आराजी उपरोक्त के 200 मीटर त्रिज्या में कोई निर्माण आदि नहीं है।

आराजी उपरोक्त किसी लिंक मार्ग जनपदीय मार्ग व राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित नहीं है।

उक्त आराजी ग्राम बढ़ौना, परगना-बिलारी के अधिसूचित क्षेत्र के सामान्य ग्राम के अन्तर्गत आती है, जो

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 193671



नगर निगम सीमा से बाहर स्थित है, जिसकी कृषि भूमि की बाजारू कीमत 22,50,000/- रुपया प्रति हेक्टेयर की दर से निर्धारित है, जिसके अनुसार विक्रीत रकबा 0.2521 हेक्टेयर की मालियत रू0 5,67,225/- होती है, जो कि विक्रय मूल्य से कम है। अतः नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही स्टाम्प शुल्क 1,04,650/- से अदा किये जा रहे है।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

213226

-17-

उपरोक्त आराजी मुख्य मार्ग शहीद पथ से लगभग 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है।

विक्रेता व क्रेता दोनों ही अनुसूचित जाति के सदस्य है। उक्त आराजी किसी योजना व किसी सरकारी व अर्ध सरकारी संस्था द्वारा अधिग्रहित नही है।

विक्रय पत्र कर्ता

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 144075



## विवरण भुगतान

1. रू0 14 ,10,062/- (लगभग चौदह लाख मात्र) जरिये चेक संख्या-342377 दिनांकित 20.07.2010 पंजाब नेशनल बैंक, शाखा-इन्दिरानगर, लखनऊ।
2. रू0 94,449/- (चौरानबे हजार चार सौ उन्चास मात्र) नगद।

[illegible]

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

7 ?73129



इस प्रकार विक्रेता को कुल विक्रय मूल्य रू0 14,94,449/- (चौदह लाख चौरानबे हजार चार सौ उन्चास मात्र) क्रेता से प्राप्त हुए।

लिहाजा यह दस्तावेज विक्रेता ने अपनी खुशी व रजामन्दी से खूब सोच व समझकर बिना किसी दबाव के क्रेता उपरोक्त के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आवे।

[illegible]

अतः आज उभय पक्षों ने इस विक्रय विलेख पर अपने अपने हस्ताक्षर करके इसे निष्पादित किया।

विक्रेता

दिनांक :– 20.07.2011

लखनऊ

क्रेता

गवाहान :–

1.

(पंकज श्री)

पुत्र श्री राम नरेश श्री

नि० [illegible], लखनऊ।

2.

ओ०पी०श्रीवास्तव

पुत्र श्री परशुराम [illegible]

हाथी खाना, लखनऊ।

क्रेता

टाईपकर्ता :

(राम सनेही)

मसविदाकर्ता :

(पाली अनुराग)

एडवोकेट,

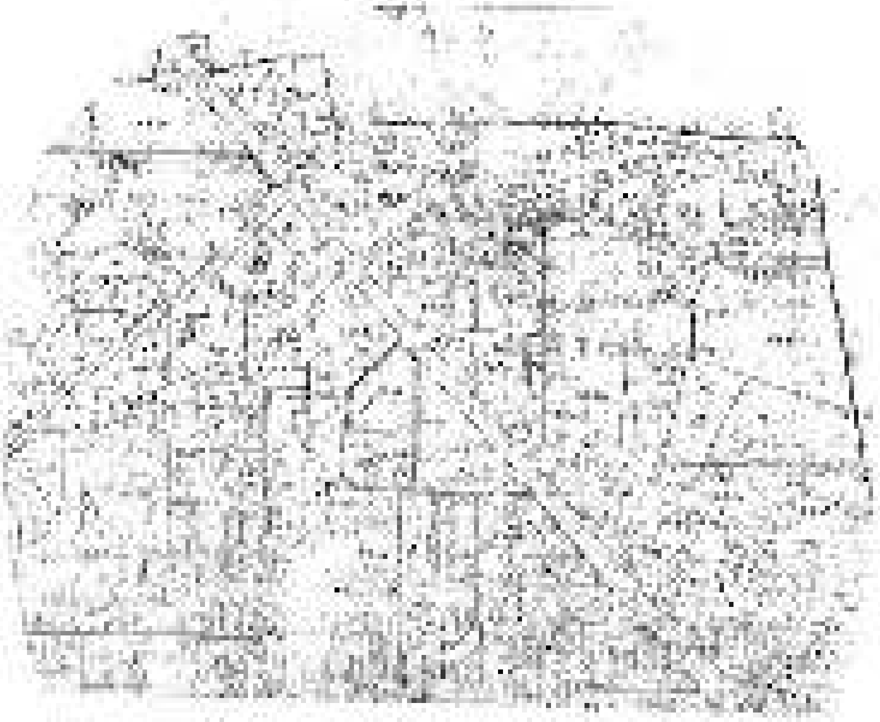

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

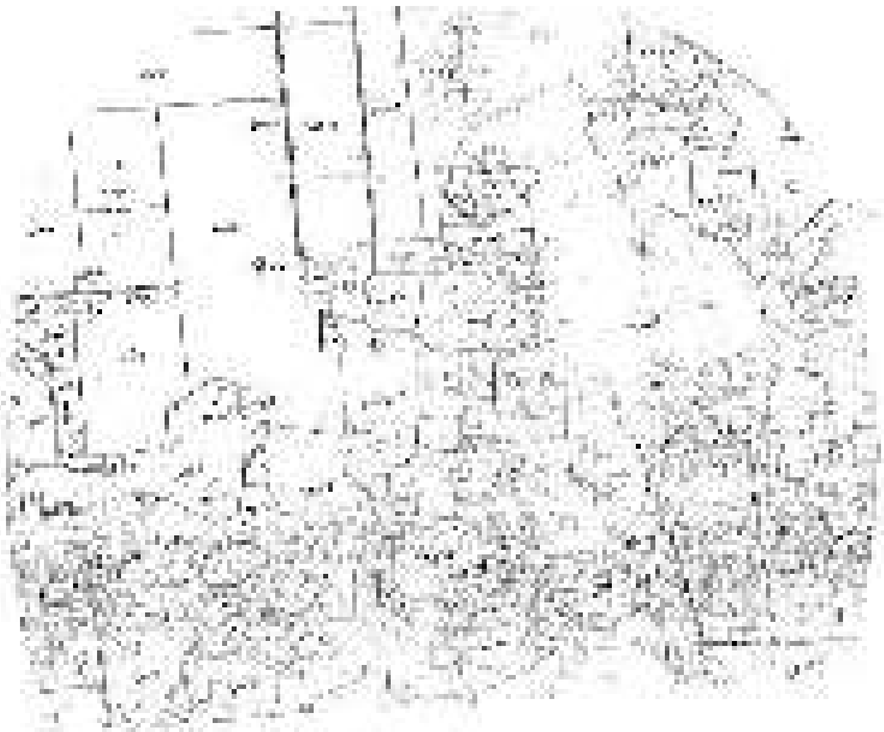

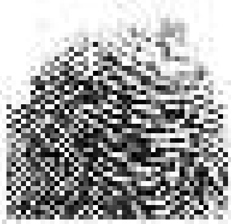

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

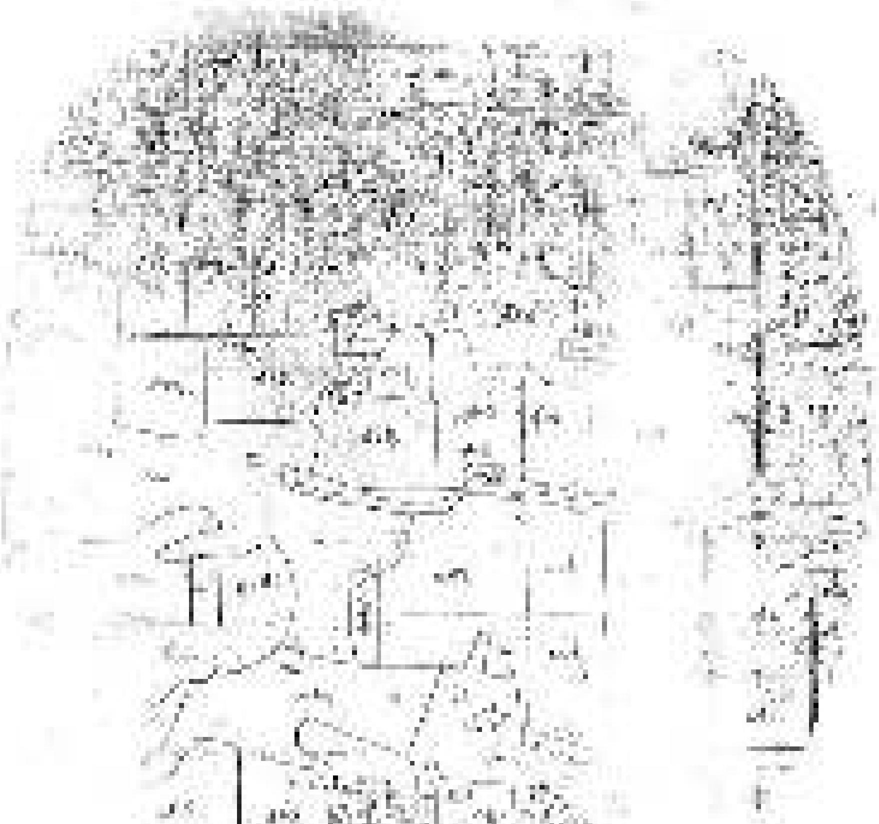

[illegible]

[illegible]

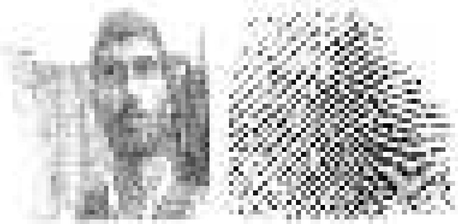

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम-1908 की धारा 32-ए, के अनुपालन हेतु
फिंगर प्रिंट विवरण

विक्रेता का नाम व पता- [illegible] पुत्र [illegible] निवासी- [illegible], [illegible], तहसील व जिला [illegible]

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-

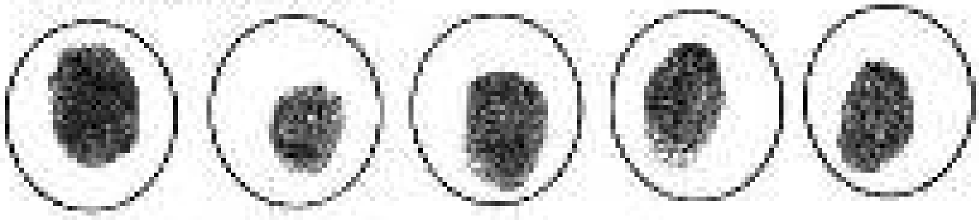

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-

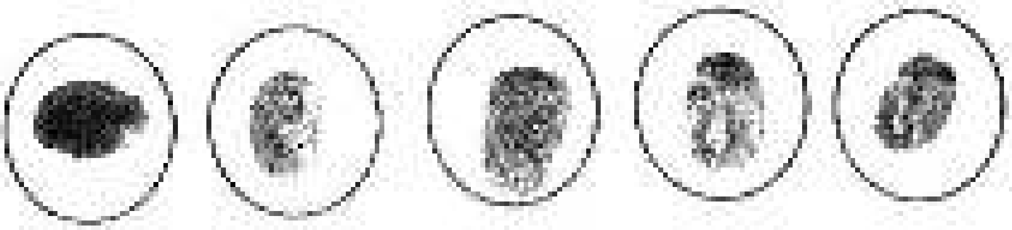

[illegible]
हस्ताक्षर विक्रेता

क्रेता का नाम व पता- [illegible] पुत्र [illegible] निवासी- [illegible], [illegible], [illegible], जिला-[illegible]

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-

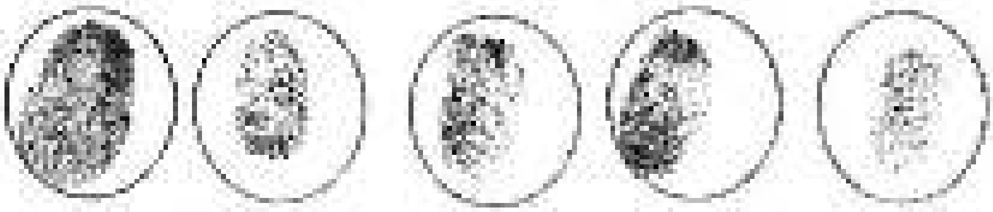

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-

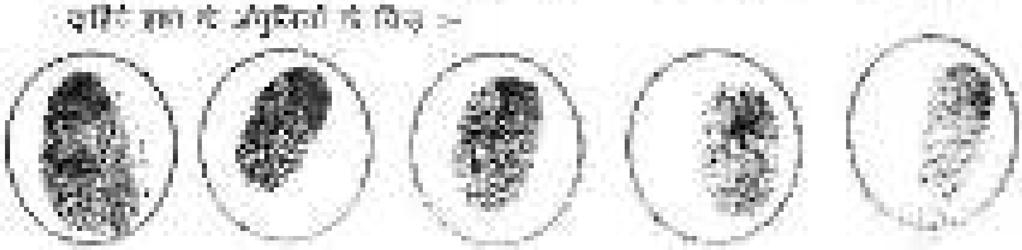

[illegible] 20/07/2011 [illegible]

[illegible] 1 [illegible] 6,916

[illegible] 92 [illegible] 146 [illegible] 10719

[illegible]

[illegible]

पी. के. द्विवेदी

[illegible]

[illegible]

20/7/201